रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 29, 2002/माघ 9, 1923
No. 55] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 29, 2002/MAGHA 9, 1923

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2002

सा.का.नि. 67(अ).— भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) के खण्ड (ग) के अनुभाग 66 के उपअनुभाग (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्, एतद्वारा, परिषद् के सचिव, अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाशर्तों के नियंत्रण हेतु निम्नलिखित विनिमय बनाती है, नामत :-

1 संक्षिप्त शीर्षक व प्रारम्भ : - (1) इन विनियमों को भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् विनियम, 2001 (अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों की सेवा-शर्ते) कहा जाए ।

(2) सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से ये प्रभावी माने जाएँगे ।

2 आवेदन - (1) ये विनियम, (दैनिक रोज़गारी व विशुद्ध अंशकालिक कर्मचारियों के अतिरिक्त) सभी कर्मचारियों तथा सभी विशेष रूप से अनुबंधित या स्थानांतरित लोगों पर, विषयानुरूप, अनुबन्ध से अनियमित सभी मामलों तथा स्थानांतरण की शर्तों के अनुरूप लागू होंगे ।

(2) ऐसे किसी भी विषय में, जो इन विनियमों मे उल्लिखित नहीं हैं, परिषद के कर्मचारियों पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों व अधिकारियों के नियम व आदेश लागू होगे ।

Scanned with CamScanner

परिभाषाएँ - इन विनियमों में, यदि सन्दर्भ न बदलें तो -

(क) 'परिषद्' का मतलब है, भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) के अनुभाग 3 के अन्तर्गत गठित भारतीय पशुचिकित्सा परिषद्;

(ख) 'कार्यकारी समिति' का मतलब है, परिषद् की कार्यकारी समिति;

(ग) 'अध्यक्ष' का मतलब है, परिषद् का अध्यक्ष;

(घ) 'सचिव' का मतलब है, परिषद् का सचिव;

(ड) 'कर्मचारी' का मतलब है, इन विनियमों की प्रथम अनुसूची के कालम (1) मे दर्शाए गए, परिषद् के स्टाफ के रूप मे नियुक्त कोई अधिकारी या कर्मचारी

(च) 'सक्षम प्राधिकरण', अनुशासनिक प्राधिकरण, अपीलकर्ता प्राधिकरण तथा पुनरीक्षण प्राधिकरण का मतलब है अनुसूची - II में उक्त, अध्यक्ष या कार्यकारी समिति द्वारा किसी कार्य को करने या किसी शक्ति के उपयोग, के लिए किसी विशेष या सामान्य आदेश द्वारा सशक्त कोई प्राधिकरण;

(छ) "अस्थाई कर्मचारी" का मतलब है परिषद् में एक निश्चित समय के लिए नियुक्त कोई कर्मचारी ।

4 परिषद् के अधिकारी व अन्य कर्मचारी :- परिषद् के अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों के कार्यप्रकार, श्रेणी तथा वेतनमान इन विनियमों की प्रथम अनुसूची के अनुरूप होंगे ।

5 नियुक्ति प्राधिकरण - (1) सचिव की नियुक्ति अध्यक्ष करेगा ।

(2) सचिव के अतिरिक्त सभी पदों की नियुक्ति सचिव करेगा ।

6 वर्तमान कर्मचारियों से सम्बन्द्ध प्रावधानः - इन विनियमों के प्रारम्भ के समय, परिषद् के सभी कर्मचारी, प्रथम अनुसूची में उक्त पदों पर नियुक्त माने जाएँगे ।

7 अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के भत्ते, अवकाश व अन्य सेवा-शर्तें :- (1). परिषद् के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के भत्ते, आवासीय भत्ता, अवकाश, निर्युक्त वेतन, भविष्य निधि, उपदान, सेवानिवृति की आयु इत्यादि सेवाशर्तें, केन्द्र सरकार के, पद के अनुरूप वेतनमान वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर प्रयोज्य, वर्तमान नियमों व आदेशों से नियंत्रित होंगे ।

(2) ऐसे किसी भी विषय में, जो इन विनियमों में उल्लिखित नहीं है, परिषद् के कर्मचारियों पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों व अधिकारियों के नियम व आदेश लागू होंगे ।

यात्रा, दैनिक व चिकित्सकीय भत्ते :- यात्रा, दैनिक व चिकित्सकीय इत्यादि भत्तों के मामले में, परिषद् के कर्मचारियों को, उनके द्वारा की गई सरकारी यात्राओं तथा चिकित्सकीय प्रभार हेतु, केन्द्र सरकार के अधिकारियों को ग्राहय दरों के अनुरूप भत्ते व चिकित्सकीय सुविधाएँ मिलेगी ।

Scanned with CamScanner

9 बचत : - ये विनियम, भारत सरकार द्वारा समयसमय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों व अन्य विशेष श्रेणियों के लोगों को उपलब्ध आरक्षण, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेंगे ।

10 छूट देने की शक्ति : - अपने आदेश द्वारा तथा लिखित कारणों सहित, जहाँ आवश्यकता व समीचीनता अनुभव हो, परिषद, केन्द्र सरकार की सलाह से, किसी भी पद श्रेणी के लिए, इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकती है ।

11 ऐसे मामले जिनके लिए कोई प्रावधान नहीं हैं :- कर्मचारियों की सेवाशर्तों से सम्बन्ध सभी ऐसे मामले जिनके लिए इन विनिमयों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, निर्णय हेतु केन्द्र सरकार को सन्दर्भित किए जाएँगे ।

अनुसूची - I

पदों व पदों से संबंध वेतनमान के वर्गीकरण को दर्शाने वाले विवरण

क्रमांक	पदनाम	समूह	1. 1 96. को संशोधित वेतनमान
1	सचिव	ए	14300-400-18300
2	सहायक-सचिव	ए	10000-325-15200
3	ए ल ओ (वैज्ञानिक अधिकारी वत् पुन निर्दिष्ट)	ए	8000-275-13500
4	अनुभाग अधिकारी	बी	6500-200-10500
5	लेखाकार	बी	5500-175-9000
6	सहायक	बी	5500-175-9000
7	आशुलिपिक ग्रेड सी (पी ए)	सी	4500-125-7000
8	उच्च श्रेणी लिपिक	सी	4000-100-6000
9	आशुलिपिक ग्रेड डी	सी	4000-100-6000
10	निम्न श्रेणी लिपिक	सी	3050-75-3950-80-4590
11	स्टाफ कार चालक	सी	3050-75-3950-80-4590

Scanned with CamScanner

(1)	(2)	(3)	(4)
12.	दफतरी व रेनो आपरेटर	डी	2650- 65-3300-70-4000
13	चपरासी	डी	2550-55-2660-60-3200
14	चौकीदार	डी	2550-55-2660-60-3200
15	सफाईवाला	डी	2550-55-2660-60-3200

अनुसूची - II

अनुशासनिक व अपीलकर्ता प्राधिकरण
देखे विनियम 3 (च)

क्रमांक	कर्तव्य-विवरण	दण्ड प्रकृति	कालम (3) मे उक्त दण्ड अधिरोपण करने में समर्थ प्राधिकरण	अपीलकर्ता प्राधिकरण	पुनरीक्षण प्राधिकरण
1	2	3	4	5	6
1	पद जहाँ वेतनमान 13500 रु से अधिक है	अल्प दण्ड बडा दण्ड	अध्यक्ष	कार्यकारी समिति	भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद्
2	पद, जहाँ वेतनमान 9000 से 13,500 रु है	अल्प दण्ड बडा दण्ड	सचिव	अध्यक्ष	कार्यकारी समिति
3	पद, जहाँ वेतनमान 4000 से 9000 रु है	अल्प दण्ड बडा दण्ड	सचिव	अध्यक्ष	कार्यकारी समिति
4	पद, जहाँ वेतनमान 4000 रु से अधिक है	अल्प दण्ड बडा दण्ड	सचिव	अध्यक्ष	कार्यकारी समिति

[फा. सं. 4-1/91-वी सी आई]

सी.के. वासदेव, कार्यकारी सचिव

Scanned with CamScanner

VETERINARY COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2002

G.S.R. 67(E).— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 66 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), the Veterinary Council of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to regulate the terms and conditions of services of the Secretary, other Officers and Employees of the Council, namely :—

1. **Short title and commencement.**— (1) These regulations may be called the Veterinary Council of India Terms and Conditions of Services of Officers and other Employees) Regulations, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**— (1) These regulations shall apply to all the employees of the Council (except persons employed on purely part-time basis and on daily wages) and to all persons employed by the Council on special contract or on transfer in respect of all matters not regulated by the contract or by the terms of the transfer as the case may be.

(2) In respect of any matter not covered by these regulations, the employees of the Council shall be governed by such rules or orders as may be applicable to the officers and servants of the Central Government.

3. **Definitions.**— In these regulations, unless the context otherwise requires:

(a) "Council" means the Veterinary Council of India established under section 3 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984);

(b) "Executive Committee" means the Executive Committee of the Council;

(c) "President" means the President of the Council;

(d) "Secretary" means the Secretary of the Council;

(e) "Employee" means any officer or servant appointed as a staff of the Council as shown in Column (1) of Schedule I to these regulations;

(f) "Competent Authority", "Disciplinary Authority", "Appellate Authority" and "Reviewing Authority" mean and include the authorities empowered by the President or the Executive Committee by any general or special order to discharge the functions or use the powers as specified in Schedule II.

(g) "Temporary employee" means an employee appointed against a post created for a fixed period in the Council.

4. **Officers and other employees of the Council.**—The nature and categories of officers and other employees of the Council and the scales of pay thereof shall be as specified in Schedule I appended to these regulations.

5. **Appointing authority.**— (1) Appointment of the Secretary shall be made by the President.

(2) All other appointments other than to the post of Secretary shall be made by the Secretary.

6. **Provisions with respect to existing employees.**—All persons who are employees of the Council at the commencement of these regulations shall be deemed to have been appointed to the corresponding posts specified in Schedule I.

7. **Allowances, leave and other conditions of service of officers and other employees.**— (1) The rules and orders for the time being in force applicable to the officers and servants, holding posts of corresponding scale of pay under the Central Government, shall regulate the conditions of service in respect of allowances, house rent allowance, leave, joining time pay, provident fund, gratuity, age of superannuation and other conditions of service of the employees of the Council.

(2) In respect of any matter not covered by these Regulations, the employees of the Council shall be governed by such rules or orders as may be applicable to the officers and servants of the Central Government.

8. **Travelling, Daily and Medical Allowances.**—In respect of matters such as travelling allowance, daily allowance and medical allowance, an employee of the Council shall be entitled to draw, in respect of official journeys performed by him and for the purpose of medical care, the allowance at the rates and the medical facilities as admissible to the officials of the Central Government.

9. **Saving.**—Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen, other backward classes and other

Scanned with CamScanner

special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

10. **Power to relax.**—Where the Council is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, in consultation with the Central Government, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any other provisions of these regulations with respect to any class or category of posts.

11. **Matters with respect to which no provision has been made.**—Matters relating to the conditions of service of employees of the Council with respect to which no provision has been made in these regulations, shall be referred to the Central Government for its decisions.

SCHEDULE—I

Statement showing the Classification of Posts and Scale of Pay attached to the posts [See Regulation 3(e)]

Sl. No.	Designation	Group	Revised pay scale as on 1-1-96
1.	Secretary	A	14300-400-18300
2	Asstt. Secretary	A	10000-325-15200
3.	A.L.O (re-designated as Scientific Officer)	A	8000-275-13500
4.	Section Officer	B	6500-200-10500
5.	Accountant	B	5500-175-9000
6.	Assistant	B	5500-175-9000
7.	Stenographer Gr. 'C' (P.A.)	C	4500-125-7000
8.	U.D.C.	C	4000-100-6000
9.	Stenographer Gr. 'D'	C	4000-100-6000
10.	L.D.C.	C	3050-75-3950-80-4590
11.	Staff Car Driver	C	3050-75-3950-80-4590
12.	Daftri-cum-Reneo Operator	D	2650-65-3300-70-4000
13.	Peon	D	2550-55-2660-60-3200
14.	Chowkidar	D	2550-55-2660-60-3200
15	Safaiwala	D	2550-55-2660-60-3200

SCHEDULE—II

Disciplinary and Appellate Authority [See Regulation 3(f)]

Sl. No.	Description of duties	Nature of Penalty	Authority competent to impose penalties specified in Column (3)	Appellate Authority	Reviewing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Posts where maximum of the scale of pay exceeds Rs. 13,500/- and above.	Minor Penalties Major Penalties	President	Executive Committee	Veterinary Council of India
2.	Posts where maximum of the scale of pay exceeds Rs. 9,000/- and upto Rs. 13,500/-.	Minor Penalties Major Penalties	Secretary	President	Executive Committee
3.	Posts where maximum of the scale of pay exceeds Rs. 4,000/- and upto Rs. 9,000/-.	Minor Penalties Major Penalties	Secretary	President	Executive Committee
4.	Posts where maximum of the scale of pay does not exceed Rs. 4,000/-.	Minor Penalties Major Penalties	Secretary	President	Executive Committee

[F. No. 4-1/91-VCI]

C.K. VASDEV, Actg. Secy. Veterinary Council of India

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Scanned with CamScanner